ई0 पत्रावली संख्या–18371 / 2022

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 14 जून, 2023**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राज्य सेक्टर अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) मद में निर्माणाधीन नहर निर्माण मद के अन्तर्गत धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–403 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी–1(सामान्य), दिनांक 06.06.2023 एवं पत्र संख्या–333 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी–1(सामान्य) / कैम्प, दिनांक 16.05.2023 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर टी0एस0पी0 मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहर निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजना के कार्यों हेतु संलग्न–1 में उल्लिखित योजनाओं हेतु रू0 56.09 लाख (रू0 छपपन लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि, योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1375 / ।।(02) / 2021–03(23) / 2014, दिनांक 10.09.2021, शासनादेश संख्या–1501 / ।।(02) / 2021–04(65) / 2021, दिनांक 28.09.2021, शासनादेश संख्या–1625 / ।।(02) / 2021–04(67) / 2021, दिनांक 16.11.2021 एवं शासनादेश संख्या–1616 / ।।(02) / 2022–03(67) / 2021टी0सी0, दिनांक 07.01.2022 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

3– योजना पर एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि को योजनावार फांट कर आवश्यकतानुसार आवंटित किया जायेगा।

4– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 14/06/2023 11:07 AM

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4700–06–001–02–00–53 के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

संलग्नक– Allotment ID

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 13-06-2023 11:51:54

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–18371/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 14/06/2023 11:07 AM

संलग्नक–1

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवमुक्त किये जाने वाली धनराशि
1	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के ग्राम लाखामण्डल में कोटिया सेरा नहर के जीर्णोद्धार की योजना।	35.61	7.73
2	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम मोठी में मोठी नहर के निर्माण की योजना।	88.64	2.61
3	जनपद देहरादून के जनजाति विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत अणु नहर के जीर्णोद्धार की योजना।	54.18	5.65
4	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खारसी के ग्राम खारसी में गंगासू दायीं नहर पर आफसूट निर्माण की योजना।	26.73	0.13
5	जनपद देहरादून के जनजाति विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत रिषाणु नहर के जीर्णोद्धार की योजना।	42.03	15.47
6	जनपद देहरादून के जनजाति विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत बडूल नहर के जीर्णोद्धार की योजना।	45.40	7.00
7	जनपद देहरादून के जनजाति विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत खरोडा नहर के जीर्णोद्धार की योजना।	64.82	17.50
	योग	**357.41**	**56.09**

(रू0 छप्पन लाख नौ हजार मात्र)

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 13-06-2023 18:04:19

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 14/06/2023 11:07 AM